

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

(शुद्धि-पत्र)

संख्या:-5न0वि0/निर्वा0-09/2017 3884 /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक-

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में विभागीय अधिसूचना संख्या-3623 दिनांक-30.05.2017 द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी। परन्तु टंकण भूल के कारण उक्त अधिसूचना की संलग्न अनुसूची-I एवं अनुसूची-XXII में त्रुटियाँ पाई गई जिसे निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

- (i) अनुसूची-I में उल्लिखित नगरपालिका निर्वाचन, 2017 नगर निगम, बिहारशरीफ के वार्ड पार्षदों की सूची के अंतर्गत क्रमांक-39 में अंकित वार्ड पार्षद का नाम मो0 जीमल अख्तर के स्थान पर मोहम्मद जमील अख्तर तथा क्रमांक-45 में अंकित वार्ड पार्षद का नाम मो0 वकली खाँ के स्थान पर मो0 वकील खाँ पढ़ा जाय।
- (ii) अनुसूची-XXII में उल्लिखित नगरपालिका निर्वाचन, 2017 नगर पंचायत, झंझारपुर के वार्ड पार्षदों की सूची के अंतर्गत क्रमांक-4 में आरक्षण स्थिति के कॉलम में पिछड़ा वर्ग (महिला) के स्थान पर अनारक्षित (महिला) पढ़ा जाय।

2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-3623 दिनांक-30.05.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8/6/2017  
(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-5न0वि0/निर्वा0-09/2017 3884 /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक:- 8/6/17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, गजट शाखा, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8/6/2017  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-5न0वि0/निर्वा0-09/2017 3884 /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक:- 8/6/17

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी-सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निकाय) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सभी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, सभी नगर निकाय को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/2017  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

9/6

9/6